उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 662 /VII-1/2018/80ख/16टीसी
देहरादून दिनांकः 16 मार्च, 2018

शासन के कार्यालयं ज्ञाप सं० 654/VII-1/2018/80–ख/16टीसी, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 23(8) तथा अधिसूचना संख्या–658/VII-1/2018/80–ख/16टीसी, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) के नियम–70(10) में संशोधन किया गया है, की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
9. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
16.03.18
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 654 / VII-1 / 2018 / 80ख / 16टीसी
देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1561 / VII-1 / 80–ख / 2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**बिन्दु–23 (8) का संशोधन :–**

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु–23(8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् ;

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| नदी तल से निकासी किये गये आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन / निर्यात पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, परन्तु क्रशड सामग्री (Crushed material) का परिवहन / निर्यात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं एवं विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति के उपरान्त आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन / निर्यात की अनुमति होगी। | –विलोपित– |

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 658/VII-1/2018/80ख/16टीसी
देहरादूनःदिनांकः 16 मार्च, 2018

## अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1875/VII-1/16/158–ख/04टीसी, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) के वर्तमान नियम–70 के उप नियम–(7) के उपरान्त नियम–70 में उपनियम–(10) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था, को निम्नवत् संशोधित/विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**नियम–70 (10) का संशोधन :–**

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001(मूल नियमावली) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–70(10) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख जायेगा, अर्थात्

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम<br>–विलोपित– |
|---|---|
| नदी तल से निकासी किये गये आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन/निर्यात पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा उक्त के राज्य से बाहर परिवहन हेतु ई–फार्म एम०एम०–11 (ओ/एस) निर्गत नहीं किये जायेंगे, परन्तु क्रशड सामग्री (Crushed material) का परिवहन/निर्यात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं एवं विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति के उपरान्त आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन/निर्यात की अनुमति होगी, जिसके लिए ई–फार्म एम०एम०–11 (ओ/एस) निर्गत किये जायेंगे। | |

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव